

**राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर**

**आदेश**

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 2192/2015  
पूरणसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक: 29.11.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री एस एस नरूका, अधिवक्ता- याची की ओर से।  
श्री जीतेन्द्र श्रीमाली, लोक अभियोजक।

प्रकरण दो सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे, तब तक पूर्व  
में पारित अन्तरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

(बनवारी लाल शर्मा)  
न्यायाधिपति